प्रेस नोट दिनांक 23.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

बाल विवाह के विरुद्ध कोतवाली नगर पुलिस की त्वरित कार्यवाही, 03 अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद में बाल विवाह जैसी गंभीर सामाजिक कुरीति और नाबालिगों के शोषण के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। दिनांक 22 जून 2026 को पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम किना का पुरवा (जोगापुर) के अंतर्गत एक नाबालिग किशोरी की उसकी सहमति के विरुद्ध जबरन शादी कराई जा रही है।

प्राप्त सूचना के अनुसार, ग्राम खमपुर खभौर निवासी हरेन्द्र वर्मा ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर साजिश रची थी। नाबालिग किशोरी का विवाह बाबू टोला (जिला छिंदवाड़ा, म0प्र0) निवासी 38 वर्षीय कन्हैया के साथ संपन्न कराया जा रहा था। यह विवाह न केवल बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन था, बल्कि यह एक नाबालिग के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी था। उपरोक्त कृत्य के संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 368/2026 धारा 11 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर की पुलिस टीम, जिसमें उप-निरीक्षक अमित सिंह, का0 नागेंद्र खरवार एवं का0 विलास यादव शामिल थे, ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस की तत्परता से नाबालिग को सुरक्षित बचा लिया गया और मौके से तीन मुख्य अभियुक्तों—सत्यम पुत्र कुबेर (जनपद सिवनी, म0प्र0), भोनी पुत्र दौलत सनोडिया (जिला छिंदवाड़ा, म0प्र0) तथा हरेन्द्र पुत्र रामकिशुन (जनपद प्रतापगढ़) को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. सत्यम पुत्र कुबेर उम्र करीब 28 वर्ष निवासौ फुलारा थाना लखनवाड़ा जनपद सिवनी मध्य प्रदेश।
2. भोनी पुत्र दौलत सनोडिया उम्र करीब 29 वर्ष निवासी हरनभटा थाना चौरई जिला छिनवाड़ा मध्य प्रदेश।
3. हरेंद्र पुत्र रामकिशुन उम्र करीब 40 वर्ष निवासी खभओर थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्तों को विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले में शामिल अन्य अभियुक्तों की संलिप्तता की गहनता से जाँच की जा रही है और उनके विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

जनहित में पुलिस की अपील-

बाल विवाह एक अपराध है, इसे समाज से मिटाएं!

प्रतापगढ़ पुलिस समस्त नागरिकों से अपील करती है कि बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को बढ़ावा न दें। बाल विवाह न केवल कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है, बल्कि यह मासूम बच्चों के भविष्य और उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। यदि आपको अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह या नाबालिगों के शोषण से संबंधित कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे, तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम (112) पर दें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। आइए, हम सब मिलकर एक सुरक्षित और बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण में अपना योगदान दें।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शातिर एटीएम फ्रॉड गिरोह का सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 03 एटीएम कार्ड बरामद

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज सिंह के नेतृत्व में दिनांक 24.06.2026 को उप निरीक्षक इंदेश कुमार प्रजापति मय हमराह हेड कांस्टेबल संजय भारती, कांस्टेबल दिलीप एवं कांस्टेबल चंदन द्वारा देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की तलाश के क्रम में रवानाशुदा होकर क्षेत्र में भ्रमणशील रहते हुए मुखबिर खास की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 154/2026 धारा 317(2), 318(4), 336(3), 340(2) बीएनएस से सम्बन्धित थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत पीवी इंटर कॉलेज मोड़ के पास से एक शातिर एटीएम फ्रॉड गिरोह के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार थाना कोतवाली देहात पर दाखिल किया गया है। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. दिलशाद उर्फ शाहरूख पुत्र बसीर, निवासी फुलपुर अकारीपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़, उम्र लगभग 24 वर्ष।

घटना विवरण-
मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि थाना कोतवाली देहात से संबंधित मुकदमे में प्रकाश में आया अभियुक्त दिलशाद उर्फ शाहरूख अपने साथी हिमांशु के साथ काले रंग की ब्रेजा कार से पीवी इंटर कॉलेज मोड़ के पास खड़ा है और किसी एटीएम पर धोखाधड़ी करने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची तो मुखबिर ने संकेत कर बताया कि वही काले रंग की ब्रेजा गाड़ी में मौजूद व्यक्ति अभियुक्त है। पुलिस टीम द्वारा जैसे ही घेराबंदी की गई, तो वाहन चालक हिमांशु सिंह व इरशाद मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गया, जबकि अभियुक्त दिलशाद उर्फ शाहरूख को मौके से पकड़ लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा एटीएम फ्रॉड गिरोह में शामिल होकर संगठित तरीके से धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया।

बरामदगी-

अभियुक्त की जामा तलाशी से उसके पास से 03 अदद एटीएम कार्ड बरामद हुए। बरामद एटीएम कार्ड निम्नवत हैं—

1. SBI ग्लोबल कार्ड (नाम: KOMURAIAH) कार्ड नं0 4591560510396765
2. SBI ग्लोबल कार्ड (नाम: KHOOBCHAND) कार्ड नं0 5446700313979854
3. यूनियन बैंक रुपे कार्ड (नाम: PREMSHANKAR SURYANAR) कार्ड नं0 6083328983968647

पूछताछ-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विभिन्न एटीएम मशीनों पर जाकर ग्राहकों को बातों में उलझाकर उनका एटीएम कार्ड बदल देता है तथा पिन कोड देखकर याद कर लेता है। बाद में उसी कार्ड का प्रयोग कर खातों से अवैध रूप से धनराशि निकाल ली जाती है और प्राप्त धनराशि को आपस में बांट लिया जाता है।

अभियुक्त द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि वह पूर्व में भी दिनांक 05.06.2026 एवं 06.06.2026 को प्रतापगढ़ शहर क्षेत्र के SBI एटीएम से इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुका है तथा गिरोह के सदस्य लगातार विभिन्न जनपदों में सक्रिय हैं।

पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 154/2026 धारा 317(2), 318(4), 336(3), 340(2) बीएनएस पंजीकृत है।

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त दिलशाद उर्फ शाहरूख पुत्र बसीर, निवासी फुलपुर अकारीपुर थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ का विस्तृत आपराधिक इतिहास प्रकाश में आया है, जिसमें विभिन्न जनपदों में दर्ज अभियोग निम्नवत हैं—

1. मु0अ0सं0 160/25, धारा 317(2)/317(4)/318(4)/319(2) बीएनएस, थाना बीकापुर, अयोध्या
2. मु0अ0सं0 254/25, धारा 317(2)/317(4)/318(4)/319(2) बीएनएस, थाना बीकापुर, अयोध्या
3. मु0अ0सं0 259/25, धारा 317(2)/317(4)/318(4)/319(2) बीएनएस, थाना बीकापुर, अयोध्या
4. मु0अ0सं0 45/2026, धारा 3(5)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस, थाना पारा, लखनऊ पश्चिमी कमिश्नरेट
5. मु0अ0सं0 004/2026, धारा 317(2)/318(4) बीएनएस, थाना गाजीपुर, लखनऊ पूर्वी कमिश्नरेट
6. मु0अ0सं0 535/2025, धारा 303(2)/317(2)/317(4)/318(4) बीएनएस, थाना मडियांव, लखनऊ उत्तरी कमिश्नरेट
7. मु0अ0सं0 60/2026, धारा 318(4) बीएनएस, थाना मडियांव, लखनऊ उत्तरी कमिश्नरेट
8. मु0अ0सं0 64/2026, धारा 318(4) बीएनएस, थाना मडियांव, लखनऊ उत्तरी कमिश्नरेट
9. मु0अ0सं0 72/2026, धारा 317(2)/317(4)/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस, थाना मडियांव, लखनऊ उत्तरी कमिश्नरेट
10. मु0अ0सं0 154/2026 धारा 317(2),318(4),336(3),340(2) BNS थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-
उप निरीक्षक इंदेश कुमार प्रजापति मय हमराह, हेड कास्टेबल हेड कांस्टेबल संजय भारती,कांस्टेबल दिलीप, कांस्टेबल चंदन।

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित ₹10,000 के इनामिया अभियुक्त थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 10000/- रुपये के इनामिया हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त, शीतला प्रसाद शुक्ला को मिलन चौराहा प्रयागराज महावीरपुरम कालोनी जाने वाले रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 06.02.2026 को सायं ग्राम खनवारी, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ में प्रधान पद के चुनाव संबंधी पुरानी रंजिश को लेकर नामजद एवं कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी निवासी ग्राम खनवारी को गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मारपीट की गई। घटना के दौरान आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे वादी को चोटें आईं। इस संबंध में थाना सग्रामगढ़ में मु0अ0सं0 21/2026 धारा 191 (2) /115(2) /352/351 (3) बीएनएस बनाम 05 नामजद व 4-5 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग उपरोक्त में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 191(3)/109 (1)/117 (2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में सर्विलासं टीम के आरक्षी सूर्य प्रताप सिंह के सहयोग से उ0नि0 श्री विवेक यादव मय हमराह उ0नि0 श्री मनोज कुमार जायसवाल, का0 रामनरेश जाट,का0 अभिनव द्विवेदी, म.का. अमृता तिवारी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 21/2026 धारा 191 (2) /191 (3)/115(2) /352/351(3)/109 (1)/117 (2) बीएनएस से संबंधित 10,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त, 01. शीतला प्रसाद शुक्ला पुत्र रामनरेश शुक्ला निवासी खनवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष को मिलन चौराहा प्रयागराज महावीरपुरम कालोनी जाने वाले रोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- शीतला प्रसाद शुक्ला पुत्र रामनरेश शुक्ला निवासी खनवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 52 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण- उ0नि0 श्री विवेक यादव मय हमराह उ0नि0 श्री मनोज कुमार जायसवाल, का0 रामनरेश जाट,का0 अभिनव द्विवेदी, म.का. अमृता तिवारी थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़।
सर्विलासं टीम के आरक्षी सूर्य प्रताप सिंह का सहयोग रहा।